



Neutral Citation No. - 2026:AHC:177379

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अन्तर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या - 8003 सन् 2025

राज कुमार चौहान

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : पल्लवी त्रिपाठी, प्रवीन कुमार द्विवेदी, सुशील कुमार मिश्रा

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए., पुष्कर नाथ त्रिपाठी, रेनू पाण्डेय, रोहित यादव

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना

1. यह विशेष रूप से नियत मामला है।

1A. दिनांक 13.05.2026 के आदेश में, इस न्यायालय ने विपक्षी संख्या 2 पर नोटिस की तामील संबंधी आख्या तलब की थी। दिनांक 05.08.2026 की कार्यालय आख्या से प्रकट होता है कि विपक्षी संख्या 2 पर व्यक्तिगत रूप से नोटिस की तामील हो चुकी है तथा विपक्षी संख्या 2 की वकालतनामा अभिलेख पर है। दोनों पक्षों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

2. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता उपस्थित हैं।

3. मामला वैवाहिक प्रकृति का है। आवेदक तथा विपक्षी संख्या 2/सूचनाकर्ता की पुत्री का विवाह हिन्दू रीति-रिवाज एवं रस्मों के अनुसार संपन्न हुआ, किन्तु विवाह के शीघ्र बाद पक्षकारों के मध्य वैवाहिक मतभेद उत्पन्न हो गए, जिसके कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई और परिणामस्वरूप

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक (पति) को अभियुक्त बनाया गया। आरोप-पत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात्, अभियुक्त व्यक्ति ने इस न्यायालय के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया। इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित दिनांक 20.03.2025 के आदेश के माध्यम से मामला मध्यस्थता हेतु भेजा गया था। दिनांक 20.03.2025 के आदेश को निम्नवत् पुनरुत्पादित किया जा रहा है:-

“श्री प्रवीण कुमार द्विवेदी, आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा श्री राज बहादुर वर्मा, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।

2. वर्तमान आवेदन दिनांक 14.08.2022 के आक्षेपित आरोप-पत्र तथा विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 2, इलाहाबाद द्वारा वाद संख्या 135 वर्ष 2023 (राज्य बनाम राज कुमार चौहान एवं अन्य) में पारित दिनांक 19.01.2023 के संज्ञान/समन आदेश सहित संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो मुकदमा अपराध संख्या 133 वर्ष 2022, धारा 498-ए, 323 भा.दं.सं. तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4, थाना-खीरी, जनपद-प्रयागराज से उद्भूत है तथा विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 8, इलाहाबाद के न्यायालय में लंबित है।

3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वर्तमान कार्यवाही ऐसे अपराध से उद्भूत है जो वैवाहिक प्रकृति का है और इसलिए मामले को मध्यस्थता केंद्र को संदर्भित किया जा सकता है।

4. उपर्युक्त के दृष्टिगत, मामला उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मध्यस्थता केंद्र को इस शर्त के अधीन संदर्भित किया जाता है कि आवेदक आज से तीन सप्ताह के भीतर मध्यस्थता केंद्र में रु.20,000/- की धनराशि जमा करेगा, जिसमें से रु.15,000/- विपक्षी संख्या 2 की पुत्री को मध्यस्थता केंद्र द्वारा निर्धारित तिथि पर मध्यस्थता केंद्र के समक्ष उसके उपस्थित होने पर भुगतान किए जाएंगे। शेष रु.5,000/- मध्यस्थता केंद्र द्वारा अपने व्यय हेतु अपने पास रखे जाएंगे।

5. यह भी निर्देशित किया जाता है कि मध्यस्थता केंद्र के समक्ष धनराशि जमा करते समय, आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता वर्तमान मामले में उल्लिखित पक्षकारों का मेमो, साथ ही निजी विपक्षीगण के, यदि उपलब्ध हों, व्हाट्सएप नंबर तथा ई-मेल आई.डी. भी दाखिल करेंगे।



6. विपक्षी संख्या 2 को नोटिस जारी किया जाए।

7. उपर्युक्त धनराशि को उपर्युक्त अवधि के भीतर जमा किए जाने के पश्चात्, पक्षकारों को मध्यस्थता हेतु कोई तिथि निर्धारित करते हुए नोटिस जारी किए जाएंगे तथा मध्यस्थता केंद्र मध्यस्थता एवं सुलह की कार्यवाही को शीघ्रतापूर्वक समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा।

8. जुलाई, 2025 के प्रारंभ होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध किया जाए।

9. यह भी प्रावधानित किया जाता है कि यदि आवेदक उपर्युक्त धनराशि जमा किए जाने की रसीद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दाखिल करता है, तो अगली सूचीबद्ध तिथि तक उपर्युक्त मामले में आवेदक के विरुद्ध कोई बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

10. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि आवेदक उपर्युक्त जमा की रसीद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो अधीनस्थ न्यायालय आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।”

4. उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में, पक्षकार मध्यस्थता हेतु उपस्थित हुए। उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र की दिनांक 25.09.2025 की आख्या से प्रकट होता है कि पक्षकारों ने मध्यस्थता में समझौते के माध्यम से अपने विवाद का निस्तारण कर लिया है। उक्त आख्या अभिलेख पर उपलब्ध है।

5. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदन का विरोध किया है।

6. जब पक्षकारों ने अपने मतभेदों को समाप्त कर लिया है, तब विचारण को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि मुख्य साक्षी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं करेगा।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *गीता मेहरोत्रा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2012) 10 एस.सी.सी. 741* में अपने अनुभव से उत्पन्न टिप्पणी करते हुए कहा है कि वैवाहिक विवाद में उत्पन्न होने वाले घरेलू झगड़े में परिवार के सभी सदस्यों को सम्मिलित करने की प्रवृत्ति होती है। आगे, *कहकशां कौसर उर्फ सोनम एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, (2022) 6*



एस.सी.सी. 599 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भा.दं.सं. की धारा 498-ए के दुरुपयोग तथा पति के रिश्तेदारों को अभियुक्त बनाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर टिप्पणी की है।

8. नरेंद्रिा कुमार एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य, 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 4048

(प्रासंगिक पैरा 21) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 तथा दं.प्र.सं. की धारा 482 (528 बी.एन.एस.एस.) के अंतर्गत क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की समवर्ती शक्तियों पर विचार करते हुए, गैर-शमनीय अपराध में समझौते के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को निरस्त किए जाने के बिंदु पर, विशेष रूप से वैवाहिक मामलों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णयों पर विचार करने के पश्चात् यह मत व्यक्त किया कि पीड़ित एवं दोषकर्ता के मध्य हुए समझौते एवं निपटारे के आधार पर कार्यवाही को निरस्त करने की अंतर्निहित शक्ति संविधान न्यायालयों में निहित है, जिसका प्रयोग न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जाना चाहिए।

9. पक्षकारों के मध्य हुए निपटारे तथा उपर्युक्त उल्लिखित माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि को दृष्टिगत रखते हुए, दिनांक 14.08.2022 के आक्षेपित आरोप-पत्र तथा विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 2, इलाहाबाद द्वारा वाद संख्या 135 वर्ष 2023 (राज्य बनाम राज कुमार चौहान एवं अन्य) में पारित दिनांक 19.01.2023 के संज्ञान/समन आदेश सहित संपूर्ण कार्यवाही, जो मुकदमा अपराध संख्या 133 वर्ष 2022, धारा 498-ए, 323 भा.दं.सं. तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4, थाना-खीरी, जनपद-प्रयागराज से उद्भूत है तथा विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 8, इलाहाबाद के न्यायालय में लंबित है, एतद्वारा आवेदक के संबंध में निरस्त की जाती है।

10. उपर्युक्त के दृष्टिगत, धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन तदनुसार स्वीकार किया जाता है।

11. इस आदेश की एक प्रति संबंधित जिला न्यायाधीश को रजिस्ट्रार (कम्प्लायन्स) के माध्यम से भेजी जाए।

(न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना)

21 अगस्त, 2026

शरद/-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।